



चार दिन की चांदनी
होती है, टेस्ट क्रिकेट
नहीं : सहवाग

>> 14



दैनिक जागरण

सीएए पर विपक्ष का कुनबा बिखरा

लगा झटका ► सोनिया की बैठक से सपा, बसपा, टीएमसी, आप और शिवसेना ने बनाई दूरी

कांग्रेस की अगुआई वाली बैठक में नहीं आने के सबके अपने-अपने कारण

जागरण व्याप्र, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के साथ राष्ट्रीय नागरिकता रिंजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनगणना रिंजिस्टर (एनपीआर) के विवादों अधियन में जुर्या विषय दलों का कुनबा बिखरा दिया रहा है। सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से बुलाई गई बैठक में इस टूट की स्पष्ट झलक दिखी। विपक्ष की सज्जा लाइंग से तुर्मूल कांग्रेस (टीएमसी), सपा, बसपा, आप अदामी पार्टी (आप) और शिवसेना ने लाल खींच लिया है।

हालांकि कांग्रेस समेत 20 दलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में इस्सा लिया और सरकार से सीएए वापस लेने तथा एनपीआर की प्रक्रिया रोकने की अपील की। विपक्ष का यह भी कहना है कि मंदी, बेरोजगारी और

20 दलों के नेताओं ने बैठक में हिस्सा लेकर सरकार पर मंदी, महंगाई से ध्यान हटाने व देश बांने का लगाया आरोप

विपक्ष शासित 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपने राज्य में एनपीआर प्रक्रिया शुरू नहीं करने की भी अपील

महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए सरकार

एसें विभाजनकारी को कदम उठा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह अमित शाह पर निशाना साधा।

सीएए के खिलाफ अधियायन को धार देने के लक्ष्य से सोनिया ने सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक कुल्हाई थी। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और बसपा सुश्रीमा मायावती



नई दिल्ली में सोमवार को विपक्षी दलों की बैठक के बाद (वाएं से) सोनिया गांधी, गुलाम नवी आजाद, सीताराम येहुरी, रुहुल गांधी, भक्तपुरा नेता डी. राजा और जाहांखेड़ के मुख्यमंत्री संभूत शेषन। एनपीआर

ने तो पहले ही बैठक में नहीं आने की घोषणा कर दी थी। सपा ने भी इसी राह पर चलते हुए बैठक से दूरी बना ली। विपक्षी खेमे का नया-नया हिस्सा बनी शिवसेना का किनारा करना भी किसी छाके जैसा रहा। शिवसेना ने कहा कि उसे बैठक का संरेख ही नहीं मिला था। टीएपीआर और द्रुमुख की अनुसरिति ने भी खेमे को हैरान किया। आप अदामी पार्टी का बैठक से दूर रहना

बहुत चौकाने वाला नहीं रहा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने बैठक में जाना मुसिबत नहीं समझा। हालांकि कांग्रेस नेता गुलाम नवी आजाद और माकपा महासचिव सीताराम येहुरी ने कहा कि सपा, बसपा या टीएमसी के प्रतिनिधि भले बैठक में शरीक हुए हैं और इस पर उनका समर्थन हासिल है। इस बैठक

एनपीआर को सरकार बना रही एनआरसी की बुनियाद : सोनिया

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बैठक को संसोचित करते हुए कहा, ऐसी-ऐसा नए आरसी पर प्रधानमंत्री मोदी व अधिनियम शाह लगातार लोगों को गुरुत्व कर रहे हैं। विपक्ष करने वाले के खिलाफ सता की ताकत का चाबुक चलाया जा रहा है। सोनिया ने कहा, सोनिया नवी आजाद की जेपन्यू, एमप्यू, बीएचयू से लेकर भारत मायावती के लिए तरह तरह निशाना बनाया जा रहा है। सरकार धर्म के आधार पर लोगों को बोट रही है। असली

मुद्रा आर्थिक गतिविधियों और विकास का धराशाली होना है, जिससे गरीब व आम आदमी जुड़ा रहा है। मगर मोदी-शाह के पास इन मुद्रों का कोई जवाब नहीं है।

विपक्षी दल मिलकर सरकार के इस मंसूबे को नाकाम करेंगे। सोनिया ने कहा कि एनआरसी असम में नाकाम सांतित हुआ और मोदी-शाह की सरकार अब एनपीआर पर कोकस कर रही है। सरकार धर्म के साप के लिए जापीआर को बोट रही है।

एनपीआरसी की बुनियाद बना रही है।

आइसीआइसीआई बैंक ने चंदा कोचर से वसूली को किया हाई कोर्ट का रुख

मुवई, ग्रेट : आइसीआइसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक (एमटी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आइसीआइसीआई बैंक ने चंदा कोचर की एमटी और सीईओ के पद से बर्खास्ती की रूप में उठाई दी है एवं रकम की सार्वत्रिकी के लिए बंबी हाई कोर्ट का दावजा स्टॉक्ट्राया है।

बैंक ने 10 जनवरी को हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कोचर की तरफ से पूर्व में दाखिल याचिका को खाली करने के लिए जारी किया। एनपीआरसी की मांग की ओर कहा कि इस रुख के लिए जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

बैंक ने 10 जनवरी को हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कोचर की तरफ से पूर्व में दाखिल याचिका को खाली करने के लिए जारी किया। एनपीआरसी की मांग की ओर कहा कि इस रुख के लिए जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, बैंक ने कोचर से कलांबैक के तहत अप्रैल 2006 से मार्च 2018 तक दिए गए बोनस और इंसेटिव की वसूली के लिए जारी किया।

जारी की गयी राहिल वाली वाचिका को चौराजी कर दिया जाना चाहिए। हलफनामा के अनुसार, ब